न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म0प्र0

R-27-III/14

हरनारायण वल्द रामदास पटैल

निवासी ग्राम मुड़का तहसील नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0

— आवेदक/ रिवीजनकर्ता

// बनाम //

1- श्यामबाई पत्नि डोकू कोरी
2- ग्यासो वल्द कमल पटैल

दोनो निवासी ग्राम मुड़का त0 नौगांव जिला छतरपुर म0प्र0

— अनावेदक गण

रिवीजन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

रिवीजनकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा अपील क्रमांक 593अ/6 वर्ष 05-06 में पारित आदेश दिनांक 10/12/2013 से परिवेदित होकर निम्न आधारों पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है ।

// रिवीजन के तथ्य //

1- यह कि रिवीजनकर्ता ग्राम मुड़का तहसील नौगांव जिला छतरपुर का स्थाई निवासी है । अनावेदक क्र0-2 ने अनावेदक क्र0-1 से उसकी भूमिस्वामित्व की भूमि जिसके ख0नं0 क्रमशः 49 रकवा 0.376 हे0 एवं ख0नं0 69 रकवा 0.308 हे0 है और जो ग्राम मुड़का तहसील नौगांव जिला छतरपुर में स्थित है रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 22/5/1998 को खरीद की थी तथा खरीद उपरांत अनावेदक क्र0-2 ने उक्त भूमि पर अपना नामांतरण ग्राम पंचायत मुड़का के प्रस्ताव ठहराव क्र0-10 आदेश दिनांक 6/9/1998 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज

/2/

B.O.R.
28 DEC 2013
कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)
110
28-12-13
30/12/13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–27/तीन/14 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश हरनारायण वि. श्यामबाई आदि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–11–2015	प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन के बिन्दु पर किए गये तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण की विषयवस्तु प्रथम दृष्ट्या इस प्रकार है । निगरानी मेमो में लिखे अनुसार अनावेदिका 1 ने अनावेदक 2 के पास उनकी भूमि खसरा नं0 334 गिरवी रखी थी, जिसके बाद अनावेदक 2 ने उनसे धोखे से उनकी भूमि ख0नं0 49 एवं 69 खरीद ली और निगराकार को बेच दी। नायब तहसीलदार ने इन खसरा नं0 49 एवं 69 पर अनावेदिका 1 का नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए, जिसे प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने एवं द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने यथावत रखा। इसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। उपलब्ध अभिलेखों एवं समक्ष में आए उपरोक्त विवरण के प्रकाश में मैं प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का समुचित कारण नहीं पाता हूँ, अतः स्थगन आवेदन अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में आगामी कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाये। (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर	